भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

भीकाजी कामा प्लेस, त्रिकूट-2,
नईदिल्ली-110066

लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 350

उत्तर सोमवार, 28 मार्च,2022 को दिया जाना है।

"सीपीएओ द्वारा आयोजित पेंशन अदालत"

***350 श्री प्रतापराव जाधव**
श्री श्रीरंग अप्पा बरने

क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक 'पेंशन अदालत' आयोजित करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पेंशन अदालत के उद्देश्यों और उद्देश्यों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिन मुद्दों/मामलों का समाधान किए जाने की संभावना है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य,योजना के शुरुआत से अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इसके अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने एनपीएस शुरू करने का उद्देश्य हासिल कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; तथा

(ङ) क्या सरकार ने सेवानिवृत्ति आय योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए एनपीएस के तहत अंशदान बढ़ाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)
(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

श्री प्रतापराव जाधव और श्री श्रीरंग अप्पा बरने द्वारा 'सीपीएओ द्वारा आयोजित पेंशन अदालत' के संबंध में 28 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 350 के उत्तर में संदर्भित वक्तव्य-

(क) जी हां, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16 मार्च, 2022 को एक पेंशन अदालत का आयोजन किया है।

(ख) उपरोक्त (क) में विवरण।

इस 'पेंशन अदालत' का उद्देश्य पेंशनभोगियों /परिवार पेंशन भोगियों की शिकायतों के त्वरित निवारण की सुविधा प्रदान करना था। उक्त पेंशन अदालत में हल करने के लिए उठाए गए मुद्दे/मामले संराशिकृत मूल्य के भुगतान, अतिरिक्त पेंशन का भुगतान, संशोधन के कारण पेंशन के बकाया का भुगतान और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने से संबंधित हैं।

(ग) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरुआत भारत सरकार द्वारापरिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना द्वारा बदलने के लिए की गई थी ताकि वृद्धावस्था आय सुरक्षा मुहैया कराई जा सके और विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से अल्प बचतों को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र में लाया जा सके। एनपीएस को केंद्र सरकार सेवा (प्रथम चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) में 1 जनवरी, 2004 से सभी नई भर्तियों के लिए अनिवार्य किया गया और 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार परसभी नागरिकों के लिए प्रभावी रूप से शुरू किया गया था। इसकी स्थापना के बाद से 28.02.2022 की स्थिति के अनुसार एनपीएस के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकित व्यक्तियों की संख्या, अनुलग्नक **'क'** में है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को सुव्यवस्थित करने हेतु कई कदम उठाए हैं, ताकि इसके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। इनमें राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम-टियर-1 के अंतर्गत शामिल किए गए केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के केन्द्रीय सरकार अंशदान में पूर्व में वेतन + डीए के 10 प्रतिशत के स्थान पर वृद्धि करके इसे 14 प्रतिशत किया गया है।

*****

अनुलग्नक क

28.02.2022 को एनपीएस के तहत नामांकित व्यक्तियों की संख्या, इसकी स्थापना के बाद से, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

क्रमांक	राज्य का नाम	अभिदाताओं की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14,444
2	आंध्र प्रदेश	9,31,391
3	अरुणाचल प्रदेश	36,769
4	असम	4.90.192
5	बिहार	6,90,791
6	चंडीगढ़	38,390
7	छत्तीसगढ़	6,04,862
8	दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	5,019
9	दिल्ली	4,38,941
10	गोवा	58,525
11	गुजरात	7,52,656
12	हरियाणा	4.82.841
13	हिमाचल प्रदेश	1,78,383
14	जम्मू और कश्मीर	2,35,440
15	झारखंड	3,74,234
16	कर्नाटक	13,98,605
17	केरल	6,80,787
18	लद्दाख	482
19	लक्षद्वीप	2,211
20	मध्य प्रदेश	9,20,418
21	महाराष्ट्र	15,69,265
22	मणिपुर	68,871
23	मेघालय	32,752
24	मिजोरम	13,823
25	नागालैंड	51,194
26	ओडिशा	5,13,264
27	पांडिचेरी	24,632
28	पंजाब	3,51,531
29	राजस्थान	9,74,928
30	सिक्किम	28,993
31	तमिलनाडु	6,87,380

32	तेलंगाना	2,00,935
33	त्रिपुरा	56,018
34	उत्तर प्रदेश	17,29,754
35	उत्तराखंड	1,85,584
36	पश्चिम बंगाल	6,53,599
37	अन्य*	42282
	कुल	155,20,186

स्रोत: पीएफआरडीए

*अन्य में अर्धसैनिक बल, अप्रवासी भारतीय ग्राहक और भारत की विदेशी नागरिकता ग्राहक।